

प्रेषक,

राहुल गटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-6/2016/ए-1-226/दस-2011-10(28)/2011

2543/PS PM/16

निर्देश पत्र (ग्राम) / उत्तर प्रदेश शासन
/ नि. (व) / अ. (न)

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

17-3-16
(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव
परिवहन एवं संचालन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ -

दिनांक - 15 मार्च, 2016

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेंट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

SCC/VSCC/F

उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31-01-2013 द्वारा विभिन्न चरणों में ई-पेमेंट प्रणाली का विस्तार करते हुए दिनांक 01-04-2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में प्रदेश के सभी कोषागारों में सभी प्रकार के देयकों का भुगतान दिनांक 01-04-2013 से ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। ई-पेमेंट की इस व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर कोषागार स्तर पर एवं राजकीय व्यवसाय किए जाने वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ई-पेमेंट में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 निर्गत किया गया है।

13/16

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि -

- (i) सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2016 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्य स्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् दिनांक 20 मार्च, 2016 तक अवश्य पहुँच जाये।
- (ii) सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् दिनांक 25 मार्च, 2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेंट

के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक भुगतान हेतु अंतराईजेशन किया जा सके, क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को रात्रि 08:00 बजे तक ही हो पायेगा।

- (iii) सभी कोषागारों द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2016 तक प्राप्त हुए बिलों की जाँच कर विलम्बतम् दिनांक 27 मार्च, 2016 तक ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर जारी कर दिये जायें।
- (iv) कोषागारों से उक्तानुसार जैसे ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाये, उनके द्वारा ई-पेमेण्ट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम् दिनांक 28 मार्च, 2016 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जाय, जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 के पूर्व ही बिलों की जाँच कर ई-पेमेण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
- (v) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन आगामी वित्तीय वर्षों में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सौमयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्ययपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर,

प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2016/ए-1-226(1)/2016-10128/2011, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री. राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, कोषागार, उओप्रओ, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001।
- 6- क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भयन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

पत्रांक—

/बजट/29(5)/30-13/2015-1, दिनांक

- (2) उक्त की प्रति समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक(2)/संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं समस्त योजनाधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय को तत्काल अनुपालनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । निदेशक(प्रशासन एवं विकास) एवं निदेशक(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उओप्रओ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियंत्रक

पशुपालन विभाग, उओप्रओ।